


उनवान:- जसवीर बनाम रामस्वरूप वगै०  
दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
5/3/25	<p>वादी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 08.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> (श्रीजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>	<p>65762 5/3/25</p>
8-4-25	<p><del>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी नं० 1 खण्ड 6 की ओर से श्री राध्यावमण शर्मा सुडवोकेट ने भी पेश किया जो आगे पत्रावली रहे। पं० राध्यावमण शर्मा से नादेशी पचोटे के वाले काठमा डिग्रा 16.5.25 को पेश हो।</del></p>	<p>रामस्वरूप जसवीर </p>
16/5/25	<p><del>पत्रावली पेश हुई। वकील उममपप्रकाश ठपाकर / प्रतिवादी नं० 1 खण्ड 6 की ओर से श्री राध्यावमण शर्मा सुडवोकेट ने पत्रावली पेश किया जो आगे पत्रावली रहे। वाले काठमा डिग्रा 13/6/25 को पेश हो।</del></p>	
13/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वर की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 16/7/25 को पेश हो।</p>	<p>12/12</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

दिनांक	फर्द अहकाम	
13.2.21	<p>पत्रावती पत्र उर्मा वादी एवं वादी वकील कोर्ट उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज दितारं गये सके बावजूद भी कोर्ट उपस्थित नहीं। शकित वादी का काम आवत एजपी निवेदन्य रुद्र पेश्वी रुद्र एचिरी से खरिद किये जाते हो</p> <p>पत्रावती पत्रावती सुमार एकर नम्बर से कर कर दारिज्ज 1 फर हो</p> <p style="text-align: center;">३</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम, जिला-करौली</p>	DD